ई–मेल

पत्र संख्याः 1/क्षे0–1001/2026–सा0 प्र0–3643/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त।

सभी जिला पदाधिकारी।

सभी नगर आयुक्त।

पटना–15, दिनांकः 20.2.26

विषय :– **दिनांक 23.02.2026 को अपराह्न 02:00 बजे से 05:00 बजे तक अधिवेशन भवन, पटना में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में जनगणना 2027–प्रथम चरण (मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना) हेतु प्रस्तावित राज्य स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति का संसूचन।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयगत सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति संसूचित की जाती है।

अनु0:– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

20/2/2026

(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

10|CM|D:\Rohit\letter

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
जनगणना कार्य निदेशालय, बिहार
DIRECTORATE OF CENSUS OPERATIONS, BIHAR
Training Section / प्रशिक्षण अनुभाग

Digital India
Power To Empower

8वां तल, सी-जी ब्लॉक, कर्पूरी ठाकुर सदन
8th Floor, C-G Block, Karpoori Thakur Sadan
आशियाना - दीघा रोड, पटना - 800025
Ashiana - Digha Road, Patna - 800025
फोन / Phone: 0612-2565960
ई-मेल /E-mail: dco-bih.rgi@censusindia.gov.in

पत्रांक :- J-26014/01/2025-Trg-I/301285/2026

दिनांक ;- 10-02-2026

सेवा में,

प्रधान सचिव –सह- राज्य नोडल अधिकारी (जनगणना),
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार सरकार।

विषय :- जनगणना 2027 प्रथम चरण (मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना) हेतु राज्य स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण सम्मेलन के आयोजन के संबंध में।

प्रसंग :- भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त से प्राप्त DO Letter दिनांक 03.02.2026 एवं प्रशिक्षण प्रभाग, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र दिनांक 03.02.2026

महोदय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्रों के आलोक में सादर अवगत कराना है कि दिनांक 23.01.2026 को नई दिल्ली में आयोजित मुख्य सचिवों, राज्य नोडल अधिकारियों एवं निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय की बैठक के उपरांत राज्य स्तर पर State Level Census Coordination Committee (SLCCC) के सदस्यों, संबंधित सचिवों, प्रमण्डल आयुक्तों एवं प्रधान जनगणना अधिकारियों हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण सम्मेलन दिनांक 23.02.2026 को आयोजित किया जाएगा ।

सादर सूच्य है कि यह सम्मेलन मुख्य सचिव, बिहार सरकार की अध्यक्षता में जनगणना 2027 के प्रथम चरण (मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना) के लिए आयोजित किया जाना है, जिसमें राज्य स्तर के उच्चाधिकारियों एवं प्रधान जनगणना अधिकारियों को जनगणना 2027 की रणनीति, कार्य प्रगति, उनकी भूमिका एवं उत्तरदायित्व तथा भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय द्वारा प्रदत्त सहयोग, विशेषकर वित्तीय सहायता, के संबंध में भली-भांति अवगत कराया जा सके। उक्त सम्मेलन में जनगणना - 2027 के सफल एवं ससमय क्रियान्वयन हेतु प्रधान

(7) (12)

जनगणना अधिकारियों की सक्रिय भूमिका के महत्व पर भी विस्तृत चर्चा प्रस्तावित है।

विदित हो कि दिनांक 03.02.2026 को मुख्य सचिव, बिहार सरकार की अध्यक्षता में आयोजित जनगणना 2027 से संबंधित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में उक्त सम्मेलन दिनांक 23.02.2026 को सचिवालय स्थित अधिवेशन भवन में आयोजित करने हेतु निर्णय लिया गया है। उक्त के क्रम में निवेदन है कि भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा जारी परिपत्र संख्या - 07 (जनगणना 2027 के विभिन्न घटकों के अंतर्गत (norms) अनुमोदित मानदंडो), परिपत्र संख्या - 09 (जनगणना 2027 का प्रथम चरण – मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना (HLO) के लिए जनगणना अधिकारियों का प्रशिक्षण) एवं संलग्न प्रासंगिक पत्रों में उल्लिखितानुसार सम्मेलन के आयोजन की समस्त आवश्यक व्यवस्थाएँ कराने की कृपा करें।

साथ ही, अवगत कराना है कि महारजिस्ट्रार कार्यालय के द्वारा प्रशिक्षण सम्मेलन से संबंधित कार्यक्रम (Session plan for State/UT level Conference) इस पत्र के साथ संलग्न है। ज्ञातव्य हो कि सम्मेलन में प्रतिभागियों की संख्या – 82 (बयासी) स्वीकृत की गई है।

भवदीय,

Digitally signed by
Mala Ramachandrudu
Date: 10-02-2026
21:25:10

(एम. रामचंद्रुडु, भा.प्र.से.)
निदेशक, जनगणना कार्य –सह– मुख्य
प्रधान जनगणना अधिकारी

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ।
2. राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति,के सदस्य सह सचिव बिहार को सूचनार्थ।
3. प्रमण्डल आयुक्त –सह– प्रमण्डल जनगणना अधिकारी, सभी प्रमण्डल, बिहार को सूचनार्थ।
4. जिला पदाधिकारी / नगर आयुक्त –सह– प्रधान जनगणना अधिकारी, सभी जिला / नगर निगम, बिहार को सूचनार्थ।
5. जनगणना प्रभाग एवं प्रशिक्षण प्रभाग भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय,नई दिल्ली को सूचनार्थ ।

दिनांक 03.02.2026 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में जनगणना–2027 से संबंधित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की कार्यवाही।

दिनांक 03.02.2026 को मुख्य सचिव, बिहार सरकार की अध्यक्षता में भारत की जनगणना, 2027 के विभिन्न चरणों के सफल, समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में राज्यस्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में निम्नलिखित पदाधिकारियों द्वारा सहभागिता की गई:–

1. डॉ0 बी. राजेन्दर, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग एवं शिक्षा विभाग
2. श्री सी.के. अनिल, प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग–सह–राज्य समन्वयक, जनगणना, बिहार।
3. श्री विनय कुमार, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग
4. श्री मयंक बरवडे, सचिव, योजना एवं विकास विभाग
5. श्रीमति वंदना प्रेयषी, सचिव, समाज कल्याण विभाग
6. श्री जय सिंह, सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा वित्त विभाग
7. श्री मनोज कुमार, सचिव, पंचायती राज विभाग
8. श्री एम. रामचंद्रडु, निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, बिहार।
9. श्री रंजीत कुमार, निदेशक, अर्थ एव सांख्यिकी निदेशालय, बिहार
10. श्री विष्णु भूषण चौधरी, अपर सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार।

बैठक में निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, बिहार द्वारा भारत की जनगणना, 2027 के प्रथम चरण (मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना) से संबंधित कार्यों की विस्तृत जानकारी PPT प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रस्तुत की गई। प्रस्तुतीकरण के दौरान जनगणना, 2027 के विभिन्न चरणों, प्रशासनिक तैयारियों, मानव संसाधन, वित्तीय व्यवस्था, प्रशिक्षण, तकनीकी पक्ष तथा समन्वय व्यवस्था से संबंधित बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। उपर्युक्त प्रस्तुतीकरण एवं विचार विमर्श के पश्चात् मुख्य सचिव, बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित निदेश दिये गये:–

1. **प्रथम चरण की अवधि एवं अधिसूचना:–**

भारत की जनगणना, 2027 के प्रथम चरण (मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना) हेतु दिनांक 02.05.2026 से 31.05.2026 (कुल 30 दिन) तक की अवधि निर्धारित करते हुए संबंधित अधिसूचना का राज्य राजपत्र में प्रकाशन कराया जाय। प्रथम चरण के प्रारंभ से पूर्व नागरिकों को स्वगणना (Self Enumeration) 18.04.2026 से 01.05.2026 (15 दिवस) की अवधि उपलब्ध कराई जाय तथा नागरिकों को स्वगणना हेतु व्यापक प्रचार प्रयास विभिन्न माध्यमों से किया जाय।

(अनुपालन:– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/सूचना एवं जनसंपर्क विभाग।)

③ पृ 3

2. **प्रश्नावली से संबंधित अधिसूचनाः–**

मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कार्य हेतु प्रयुक्त प्रश्नावलियों से संबंधित अधिसूचना का राज्य राजपत्र में पुनः प्रकाशन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)

3. **जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठनः–**

प्रत्येक जिला में जिला स्तरीय जनगणना समन्वय समिति (DLCCC) का गठन करते हुए जिला नोडल नामित किए जाएंगे तथा संबंधित आदेश की प्रति जनगणना निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/उच्च शिक्षा विभाग/शिक्षा विभाग/सभी जिलाधिकारी)

4. **जनगणना पदाधिकारियों की नियुक्तिः–**

प्रत्येक जिला में जिला जनगणना पदाधिकारी एवं अन्य कनीय जनगणना पदाधिकारियों की अवलिंब नियुक्ति के संबंधित आदेश जनगणना कार्य निदेशालय, बिहार को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– उच्च शिक्षा विभाग/शिक्षा विभाग/सभी जिलाधिकारी/जनगणना कार्य निदेशालय।)

5. **विशेष एवं प्रतिबंधित क्षेत्रों की पहचानः–**

सभी जिलों में अवस्थित विशेष एवं प्रतिबंधित क्षेत्रों की पहचान कर उनकी प्रमाणित सूची जनगणना निदेशालय को अविलंब उपलब्ध कराये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– सभी जिलाधिकारी।)

6. **PFMS मैपिंगः–**

जनगणना कार्य हेतु वित्तीय लेन–देन को सूचारू एवं पारदर्शी बनाने के लिए सभी संबंधित बैंक खातों को PFMS से मैप कराया जाय।

(अनुपालनः– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।)

7. **मानव संसाधन की व्यवस्थाः–**

राज्य, जिला एवं चार्ज स्तर पर तकनीकी सहायक एवं MTS की नियुक्ति हेतु अधिकृत एजेंसी के माध्यम से प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– संबंधित विभाग/जिलाधिकारी/चार्ज अधिकारी।)

8. **मलिन बस्तियों की सूचीः–**

सभी नगर निकायों की मलिन बस्तियों की अद्यतन एवं प्रमाणित सूची जनगणना निदेशालय को उपलब्ध कराई जाएगी।

(अनुपालनः– नगर विकास विभाग/जिलाधिकारी)

9. **प्रशिक्षण व्यवस्थाः–**

मास्टर ट्रेनर्स की सूची उपलब्ध कराते हुए प्रशिक्षण हेतु स्थान एवं तिथियों का निर्धारण कर समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– संबंधित विभाग/जिलाधिकारी/जनगणना निदेशालय।

10.**लोकेशन एवं शॉर्ट कोडः–**

Short Code आधारित Spreasheet के आलोक में सभी राजस्व गॉवों/वार्डो की जांच कर HLBs का आकलन का अद्यतन विवरण जनगणना निदेशालय को उपलब्ध करानें का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः–संबंधित विभाग/जिलाधिकारी/चार्ज अधिकारी।)

11.**राज्य स्तरीय सम्मेलनः–**

राज्य स्तरीय सम्मेलन दिनांक 23.02.2026 को अपराह्न 02:00 बजे से 05:00 बजे तक सचिवालय स्थित अधिवेशन भवन में आयोजित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः–जनगणना कार्य निदेशालय/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।)

12.**जनगणना सेल का गठनः–**

राज्य, जिला एवं चार्ज स्तर पर जनगणना कोषांग (Census Cell) का गठन शीघ्र पूर्ण कर इसे सुदृढ़ किया जाएगा।

(अनुपालनः– संबंधित विभाग/जिलाधिकारी/चार्ज अधिकारी)

13.**विभिन्न विभागों का सहयोगः–**

शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग तथा अन्य संबंधित विभाग को जनगणना कार्य में आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध कराते हुए पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– संबंधित विभाग/जनगणना कार्य निदेशालय)

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(प्रत्यय अमृत),
मुख्य सचिव,
बिहार सरकार

ज्ञापांक–जनगणना कोषांग–04/2026.. (ज0को0)–/१0, दिनांक–......................

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग/प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग/सचिव, समाज कल्याण विभाग/सचिव, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग/सचिव पंचायती राज विभाग/सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग/सचिव उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय/निदेशक, जनगणना कार्य–सह–नागरिक निबंधन, जनगणना कार्य निदेशालय, बिहार, गृह मंत्रालय, भारत सरकार/प्रधान सचिव/सचिव के आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(सी0के0अनिल)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–जनगणना कोषांग–04 / 2026.. 19 (ज0को0)– / रा0, दिनांक– 05/2/2026

प्रतिलिपिः– भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, न दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

(सी0के0ग्रअनिल)
प्रधान सचिव।